डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068

Web: **www.dfccil.com**

No. 2020/HQ/Admin/RTI-01 New Delhi: 08.01.2020

Sh. Sandip Gupta
S/o Sh. Subhash Prasad Gupta
Village-Bahera, Post-Durgawati
District-Kaimur (Bhabva)
Bihar--821105

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI Application dated Nil received on 31.12.2019.

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached.

Appellate Authority's name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
E-mail: skpanda@dfcc.co.in
9717636811

DA: 03 sheets

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Enterprises)
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi -110001

No. HQ/LA&SEMU/RTI/2/2015

Dated: 07/01/2020

उप–महाप्रबंधक / प्रशासन (पी.आई.ओ.),
डीएफसीसीआईएल, नई दिल्ली।

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री संदीप गुप्ता द्वारा आवेदन के जवाब के संदर्भ में।

संदर्भः पत्रांक सं0 2020/HQ/ADMIN/RTI-01 दिनांक 02-01-2020.

आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित मांगी गयी जानकारी का विवरण निम्नवत् है :–

भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 30(1) की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक–1)।

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2839 दिनांक 19.12.2013 की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक–2)।

(M.N. HODA)
महाप्रबंधक / भू.अ. एवं सेमू / ईसी

RECEIVED IN PIO'S OFFICE
Dy. No.: 30/1/20
Date: 8-1-20
Sign.:

परन्तु यह भी कि कलक्टर, किसी क्षेत्र में भूमि अर्जन की कोई कार्यवाहियां आरंभ करने के पूर्व, उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य को पुनरीक्षित और अद्यतन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा :

परन्तु यह भी कि समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्था की किसी भूमि या संपत्ति के अर्जन के लिए अवधारित बाजार मूल्य ऐसा होगा जिससे उनका अपने विकल्प की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो।

27. प्रतिकर की रकम का अवधारण—कलक्टर, अर्जन की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य अवधारित करने पर, भूमि से संलग्न सभी आस्तियों को सम्मिलित करके, भूमि के स्वामी (जिसकी भूमि का अर्जन किया गया है) को संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर की संपूर्ण रकम की संगणना करेगा।

28. वे मापदंड, जिन पर कलक्टर द्वारा अधिनिर्णय का अवधारण करने में विचार किया जाएगा—कलक्टर, इस अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि के लिए अधिनिर्णीत किए जाने वाले प्रतिकर की रकम का अवधारण करने में निम्नलिखित पर विचार करेगा—

पहले, धारा 26 के अधीन यथा अवधारित बाजार मूल्य और पहली अनुसूची तथा दूसरी अनुसूची के अनुसार अधिनिर्णीत की रकम ;

दूसरे, हितबद्ध व्यक्ति को ऐसी खड़ी फसलों और वृक्षों को, जो कलक्टर द्वारा उनका कब्जा लिए जाने के समय उस भूमि पर हों, कब्जे में लेने के कारण हुआ नुकसान ;

तीसरे, कलक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय हितबद्ध व्यक्ति को, उस भूमि को उसकी अन्य भूमि से अलग किए जाने के कारण हुआ नुकसान (यदि कोई हो) ;

चौथे, कलक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय, हितबद्ध व्यक्ति को ऐसे अर्जन के कारण, जिससे उसकी अन्य जंगम या स्थावर संपत्ति पर किसी अन्य रीति में या उसके उपार्जनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा हो, हुआ नुकसान (यदि कोई हो) ;

पांचवें, हितबद्ध व्यक्ति को कलक्टर द्वारा भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप अपना निवास-स्थान या कारबार के स्थान में परिवर्तन करने के लिए विवश होने की दशा में, ऐसे परिवर्तन के आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो) ;

छठे, धारा 19 के अधीन घोषणा के प्रकाशन के समय और कलक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लिए जाने के समय के बीच भूमि से लाभों में कमी होने के परिणामस्वरूप होने वाला कोई वास्तविक नुकसान (यदि कोई हो) ; और

सातवें, ऐसा कोई अन्य आधार, जो प्रभावित कुटुंबों के लिए साम्यापूर्ण, न्याय के हित में और उनके लिए फायदाप्रद हो।

29. भूमि या भवन से संलग्न वस्तुओं के मूल्य का अवधारण—(1) कलक्टर, ऐसी भूमि या ऐसे भवन से जिनका अर्जन किया जाना है संलग्न भवन और अन्य स्थावर संपत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने में सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम इंजीनियर या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ की ऐसी सेवाओं का जो उसके द्वारा आवश्यक समझी जाएं, उपयोग कर सकेगा।

(2) कलक्टर, अर्जित भूमि से संलग्न वृक्षों और पौधों के मूल्य का अवधारण करने में, कृषि, वनविज्ञान, उद्यानकृषि, रेशम कीट पालन के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं का, जो उसके द्वारा आवश्यक समझी जाएं, उपयोग कर सकेगा।

(3) कलक्टर, भूमि अर्जन की प्रक्रिया के दौरान नुकसानग्रस्त खड़ी फसलों के मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, कृषि के क्षेत्र में ऐसे अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की सेवाओं का, जो उसके द्वारा आवश्यक समझी जाएं, उपयोग कर सकेगा।

(**30. तोषण का दिया जाना**—(1) कलक्टर, संदत्त किए जाने वाले संपूर्ण प्रतिकर का अवधारण करने पर, अंतिम अधिनिर्णय पर पहुंचने के लिए और शत-प्रतिशत प्रतिकर की रकम के समतुल्य "तोषण" की रकम अधिरोपित करेगा।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि तोषण की रकम, ऐसे व्यक्ति को, जिसकी भूमि का अर्जन किया गया है, संदेय प्रतिकर के अतिरिक्त होगी।)

(2) कलक्टर, संदेय प्रतिकर की विशिष्टियों का ब्यौरा और पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिकर के संदाय के ब्यौरे देते हुए पृथक्-पृथक् अधिनिर्णय जारी करेगा।

(3) धारा 26 के अधीन उपबंधित भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, कलक्टर प्रत्येक मामले में, उस भूमि की बाबत ऐसे बाजार मूल्य पर धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णीत करेगा।

सलग्नक-2

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—33004/99

REGISTERED NO. DL—33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II — Section 3 — Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2839] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2013/अग्रहायण 28, 1935

No. 2839] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2013/AGRAHAYANA 28, 1935

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2013

का. आ. 3729(अ).—केन्द्रीय सरकार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जनवरी, 2014 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. 13011/01/2013-एलआरडी]

प्रभुदयाल मीना, विशेष सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Land Resources)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2013

S.O. 3729(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), the Central Government hereby appoints the 1st day of January, 2014 as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 13011/01/2013-LRD]

PRABHUDAYAL MEENA, Special Secy.

5318 GI/2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.